दिनांकः 29-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद मुठभेड गौकशी का वांछित/अन्र्तराजीय चोर/नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल सहित 01 तमन्चा 315 बोर, 02 खोखा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में गौकशी/गौ तस्करो के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह/नकुड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिहँ थाना सरसावा दिनांक – 28.08.2023 को थाना से रवाना होकर वास्ते वांछित/फरार अपराधियो की गिरफ्तारी व सदिंग्ध व्यक्तियो की चैकिंग हेतु जब ग्राम गोविन्दपुर के सामने हाईवे सहारनपुर अम्बाला रोड पर चैकिंग कर रहे थे कि समय करीब 20.50 बजे सहारनपुर से सरसावा की और एक बाईक पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिये, संदिग्ध होने पर जिनको चैकिंग हेतु रूकने का इशारा किया। तभी अचानक से उक्त बाईक सवार दोनो व्यक्ति पुलिस पार्टी पर फायर करते हुये ग्राम बलवन्तपुर की तरफ खडन्चे के रास्ते से भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा तत्काल बदमाशो का पीछा किया गया तो ग्राम बलवन्तपुर को जाने वाले खडन्चे पर बाईक फिसल गयी तो बाईक छोडकर बदमाश खेत मे घुस गये व खेत के अन्दर से पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ किये गये फायर मे एक बदमाश घायल हो गया तथा एक बदमाश अन्धेरे व जंगल का फायदा उठाकर कर मौके से फरार होने मे सफल हो गया। घायल हुए बदमाश की पहचान **नासिर पुत्र कादिर निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** के रूप मे हुई। मानवीय दृष्टि से घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया। घायल बदमाश के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साईकिल टीवीएस स्पोर्ट बिना नम्बर की बरामद हुयी। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर पर मु0अ0सं0 250/23 धारा 307, 414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त नासिर उपरोक्त थाना सदर बाजार के मु0अ0स0 378/23 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट का भी वांछित अभियुक्त है तथा अभियुक्त पर पूर्व मे जनपद सहारनपुर व हरियाणा राज्य के विभिन्न थानो पर 18 मुकदमें पंजीकृत हैं। अभियुक्त नासिर उपपरोक्त को समय से मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जायेगा।

अभि0 नासिर उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै अनपढ व बेरोजगार व्यक्ति हुँ। रूपयो के लिये चोरी व गौकशी करता हुँ। रात भी मै और मेरा साथी किसी पशु की तलाश मे गोविन्दपुर के रास्ते से गुजर रहे थे कि सामने से अचानक पुलिस की गाडी आती दिखाई दी। चूंकि 4-5 दिन पहले थाना सदर बाजार क्षेत्र मवी खुर्द के जंगल मे मैने अपने साथियो के साथ गौकशी की थी और मुझे पता था कि थाना सदर बाजार में मेरे खिलाफ मुकदमा लिख गया है

और पुलिस मुझे ढूंढ रही है। इसलिये पुलिस टीम को सामने से आता देखकरक मैने भागने की कोशिश की व पकड़े जाने के डर से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नासिर पुत्र कदीर निवासी समसपुर कला थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 तमन्चा 315 बोर मय 4 जिन्दा व 2 खोखा कारतूस 315 बोर

01 मोटर साईकिल टीवीएस स्पोर्ट बिना नम्बर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नासिर उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 41/14 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सरसावा
2.मु0अ0सं0 89/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सरसावा
3.मु0अ0सं0 102/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा जिला सहानरपुर
4.मु0अ0सं0 15/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर
5.मु0अ0सं0 397/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा जिला सहानरपुर
6.मु0अ0सं0 675/18 धारा 13(2) पशु क्रूरता अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर
7.मु0अ0सं0 141/22 धारा 457/380 भादवी थाना असन्ध जिला करनाल हरियाणा
8.मु0अ0सं0 142/22 धारा 457/380 भादवी थाना असन्ध जिला करनाल हरियाणा
9.मु0अ0सं0 173/22 धारा 457/380 भादवी थाना असन्ध जिला करनाल हरियाणा
10.मु0अ0सं0 338/20 धारा 380/411 भादवी थाना लाडवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा
11.मु0अ0सं0 214/19 धारा 380/411 भादवी थाना बाबैल जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा
12.मु0अ0सं0 54/22 धारा 457/380 भादवी थाना मलुक नगर जिला करनाल हरियाणा
13.मु0अ0सं0 590/19 धारा 457/380 भादवी थाना सदर बाजार जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा
14.मु0अ0सं0 389/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सरसावा
15.मु0अ0सं0 207/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना सरसावा जिला सहारनपुर
16.मु0अ0सं0 180/14 धारा 3 यु0पी0 गुण्डा एक्ट थाना सरसावा जिला सहारनपुर
17.मु0अ0सं0 53/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
18.मु0अ0सं0 250/2023 धारा 307,414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा
19.मु0अ0सं0 378/2023 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 सुबे सिंह थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2.उ0नि0 श्री विकास सिंघल थाना सरसावा जिला सहारनपुर
3.है0का0 639 मुकेश कुमार थाना सरसावा जिला सहारनपुर
4.है0का0 1050 नितिन कुमार थाना सरसावा जिला सहारनपुर
5.है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जिला सहारनपुर
6.है0का0 1006 तरूण कुमार थाना सरसावा जिला सहारनपुर

दिनांक: **29-08-2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.6.2023 को वादी श्री प्रमोद पुत्र चमन निवासी ग्राम मोहद्दीनपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत विपक्षीगण द्वारा वादी के भाई धर्मवीर उर्फ पप्पू पुत्र चमन सिंह के साथ धारधार हथियार व लाठी डन्डो से जान से मारने की नियत से वार कर मारपीट करने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 220/23 धारा 352/323/307/324 भा0द0वि0 बनाम 1.वसीम पुत्र शब्बीर 2.समीम पुत्र शब्बीर 3.महफूज पुत्र अरशद 4.सुरेश सैनी पुत्र रूप सिंह नि0गण अज्ञात 5.अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से अभियुक्त जमीर पुत्र आमिर निवासी ग्राम सिरसला थाना नकुड जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 147/148 भादवि की वृद्धि कर दिनांक 16.06.2023 को अभियुक्तगण- 1. वसीम पुत्र शब्बीर 2. जमीर पुत्र आमिर निवासीगण ग्राम सिरसला थाना नकुड जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुक है। दिनांक 28/7/23 को अभियुक्त समीम पुत्र शब्बीर नि0 ग्राम सिरसला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित/वारण्टी अभि0गणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गगोंह/नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.08.23 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे वांछित चल रहे अभियुक्त **सुरेश सैनी पुत्र रूप सिह नि0 ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को हिन्दुवाडा कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि0 का पूर्व मे कोई आपराधिक इतिहास नही है। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं पढ़ा लिखा नही हूँ। ग्राम मोहद्दीनपुर के रहने वाले धर्मवीर उर्फ पप्पू पुत्र चमन सिंह से हमारी कुछ दिन पहले कहा सुनी हो गई थी। दिनांक 15.06.23 को शाम के समय धर्मवीर उर्फ पप्पू खेड़ा अफगान के शराब के ठेके के सामने मिल गया था, वह हमसे फिर से झगड़ने लगा, जिस कारण हम सभी ने लाठी डण्डो से मारपीट करनी शुरु कर दी थी। मारपीट के बाद हम सभी भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुरेश सैनी पुत्र रूप सिह नि0 ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

दिनांक: 29-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के मामले में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे चलाये जा रहे अभियुक्तगण की धर पकड के अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01/08/23 की रात्री को घटित हत्या की घटना में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त फैसल पुत्र इरफान निवासी प्रताप नगर निकट एचडीएफसी बैंक थाना मण्डी सहारनपुर को समति रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फैसल पुत्र इरफान निवासी प्रताप नगर निकट एचडीएफसी बैंक थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी -

निल

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 05/23 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

2.मु0अ0सं0- 278/19 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 597 मोहसीन थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 948 मोहित शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 29-08-2023

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का अपराध कारित करने वाले 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत मे लिया गया।</u>

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार बाल अपचारियों द्वारा किए जा रहे अपराधों की रोकथाम की जा रही है व अपराध करने वाले बाल अपचारियों को पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25/08/23 की रात्री को थाना मण्डी क्षेत्र में एक लडके को जान से मारने की नियत से चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0- 261/23 धारा 307/147/148/149 भादवि के 01 बाल अपचारी उम्र 16 वर्ष को पुलिस हिरासत में लिया गया। बाल अपचारी के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>हिरासत में लेने वाली पुलिस पार्टीः-</u>

1. उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. कां0 92 दीपक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. कां0 2199 विष्णु चौधरी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर